74

अनुमंडल कार्यालय, जहानाबाद
(राजस्व शाखा)

पत्रांक 113 / रा०, फोन नं० : 06114–223005, 223013
दिनांक 06 वीं मई, 2017 फैक्स नं० : 06114–223005
ई–मेल jehanabadsdo@gmail.com

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए
सैरात बंदोवस्ती की आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व शाखा, अनुमंडल कार्यालय, जहानाबाद के सैरात बंदोबस्ती के 07 (सात) वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए खुली डाक द्वारा बंदोबस्ती दिनांक 27/5/17 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के कार्यालय प्रकोष्ठ में निचे दिये गये शर्तो के अधीन की जायगी। यदि किसी कारणवष उक्त निर्धारित तिथि को बंदोबस्ती नहीं हो पाती है तो दिनांक 29/5/17 एवं उक्त तिथि को नहीं होने पर दिनांक 31/5/17 को उपर वर्णित समय एवं स्थान पर यह बंदोवस्ती की जायगी।

सैरातों का पूर्ण विवरण इस प्रकार है:–

क्र0	राजस्व हाटों का नाम	संबंधित अंचल	सुरक्षित जमा की राषि	जमानत की राषि
1.	विषुनगंज सब्जी हाट	मखदुमपुर	RS. 10,925/-	RS. 1,093/-
2	काको PWD रोड सब्जी हाट	काको	RS. 1,56,688/-	RS. 15,669/-
3	दक्षिणी छठ मेला	काको	RS. 7,015/-	RS. 702/-
4	सरैया हाट बाजार	रतनीफरीदपुर	RS. 19,205/-	RS. 1,921/-
5	दशहरा कार्तिक मेला	जहानाबाद	RS. 57,730/-	RS. 5,773/-
6	साहोविगहा हाट बाजार	घोसी	RS. 28,175/-	RS. 28,18/-
7	जयतीपुर कुरूआ हाट	मोदनगंज	RS. 40480/-	RS. 4048/-

बंदोबस्ती की शर्ते :–

1. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को अद्यतन आचरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को उस अंचल के अंचल अधिकारी से पूर्व के किसी सैरात की राषि बकाया नहीं होने के आषय का बकाया रहित प्रमाण–पत्र देना होगा।
3. पूर्व के वर्षो में जिस व्यक्ति के नाम से सैरात बंदोबस्ती हुई और यदि उनके पास कोई भी राषि बकाया रह गयी हो तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति को डाक में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
4. डाक में भाग लेने हेतु वक्ता को सैरात की निर्धारित सुरक्षित जमा की राषि का 10 % (प्रतिषत) अग्रधन (जमानत की राषि) के रूप में जमा करना होगा।
5. बंदोबस्ती में सफल डाक वक्ता को उच्चतम डाक की सम्पूर्ण राषि एकमुष्त अनुमंडल नजारत में जमा करना होगा।
6. उच्चतम डाक की बोली बोलकर पूरी राषि नहीं जमा करने वाले व्यक्ति की जमानत की राषि जप्त कर ली जायेगी।
7. हाट/बाजार/मेला में टॉल की वसूली सरकारी नियमों के अनुरूप ही करनी होगी, जो प्रषासन के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
8. उच्चतम डाक वक्ता द्वारा सैरात बंदोबस्ती से संबंधित एकरारनामा का निबंधन, अपने व्यय पर यथा निबंधन शुल्क 05 % (प्रतिषत) एवं स्टाम्प शुल्क 05 % (प्रतिषत) जमा कराना होगा, इसके उपरांत की परवाना निर्गत किया जायेगा।
9. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बंदोबस्ती को स्थगित करने/बंदोबस्ती की तिथि बढ़ाने/बंदोबस्ती की शर्तो में रूपलेखन करने/बंदोबस्ती का रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

6.5.17
अनुमंडल पदाधिकारी,
जहानाबाद।

[redacted]